बनाम

क्र आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
5.4.18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रतिवादीगण को तलबी हेतु रजिस्टर्ड लवाजमा नोटिस पेश किये जिनको रजिस्टर्ड तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 3.5.18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 5.4.18	D.N. NOTICE 5681-91, 05-04-18 C/R नोटिस (हस्ताक्षर) 17/4/18
27.4.18	पत्रावली पेश हुई, पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु ... राजपुरा पातलवास में दिनांक 24.05.18 को पेश हो।	
24 5/18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट राजपुरा पातलवास में पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा पातलवास ने की है। वादी एवं प्रतिवादीगण को वादपत्र पर सुना गया तथा उपस्थित मौतबिरान से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी एवं कैम्प कोर्ट स्थल राजपुरा पातलवास में मौके पर तहसीलदार बस्सी से रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं पक्षकारान को वादपत्र पर सुनने एवं उपस्थित मौतबिरान से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जानकारी लेने एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं तहसीलदार बस्सी से कैम्प कोर्ट में रिकार्ड का अवलोकन करने के बाद लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार वादग्रस्त आराजी ख.न. 10 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, ख.न. 117 रकबा 6 बीघा ग्राम टेंकुचन्दपुरा प.ह. राजपुरा पातलवास भू. अ. नि. बांसखो, तह. बस्सी जयपुर के सम्बन्ध में पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार उक्त वादग्रस्त	(हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर) (अंगूठा निशान) नि. लाडादेवी R.H.T (हस्ताक्षर) सरपंच ग्रा.पं. राजपुरा-पातलवास पंचायत समिति-बस्सी (जयपुर)

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि
		भूमि के सम्बन्ध में पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वादीया के पिता द्वारा अपने जीवन काल में ही वादग्रस्त भूमि का बेचान किया जा चुका है तथा विक्रय पत्र के सम्बन्ध में अपनी आधिकारिता सिद्ध करने हेतु जिला एवं सैशन न्यायालय जयपुर महानगर में प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा चाही गई रिलिफ दिया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादी का वाद विधि की मंशा के अनुरूप नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। आज दिनांक 24.5.18 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट राजपुरा पातलवास में मजमे आम में सुनाया गया। [signature] 24.5.18	